कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद

प्रशासनिक आदेश सं0 106 दिनांकः 16.04.2021

आदेश

1. मेरे कार्यालय को प्राप्त आख्या के अनुसार, जनपद न्यायालय इलाहाबाद के न्यायिक अधिकारी श्री विकास श्रीवास्तव, अपर जिला जज कक्ष सं0 2, श्रीमती रागिनी सिंह, अपर जिला जज कक्ष सं0 6, श्री सुरेश कुमार दुबे, ए.सी.जे.एम.–8, श्रीमती जया प्रियदर्शिनी, पीठासीन अधिकारी (वर्चुअल कोर्ट), श्री उत्सव गौरव राज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) इलाहाबाद एवं श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक नाजिर, श्री अनुपम वर्मा, पेशकार न्यायालय अपर सिविल जज जू.डि. कक्ष सं0 11, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक रिकार्ड कीपर सिविल, श्री शाहिद, लिपिक, न्यायालय ए.सी.जे.एम. कक्ष सं0 2, श्री प्रभात श्रीवास्तव रीडर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री बिजेन्द्र सिंह, पेशकार न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय–1 एवं श्रीमती गौरी सिंह, वाद लिपिक, न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय–1 कोरोना संक्रमित पाए गये हैं। इसके अलावा सुश्री पिंकी वर्मा अपर सिविल जज जू.डि कक्ष सं0 17, सुश्री शालिनी अपर सिविल जज जू.डि कक्ष सं0 20 एवं श्री उमेश चन्द्र रावत, पेशकार न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 21 को कोरोना पाजिटिव के लक्षण हैं और उनकी कोविड–19 रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

2. जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के सचिव द्वय सर्व श्री प्रमोद सिंह 'नीरज' एवं विद्या भूषण द्विवेदी का हस्ताक्षर–युक्त पत्र दिनांकित 16.04.2021 इस आशय का प्राप्त हुआ है कि,

"कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के कारण सामान्य जन मानस में भय का माहौल व्याप्त है। कोविड–19 के मामले में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हे ओर जनपद प्रयागराज की स्थिति अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ही सोचनीय हे। कोविड–19 महामारी का भारी प्रकोप जारी है, जिसमें जनपद न्यायालय के अधिवक्तागण श्री अशोक श्रीवास्तव, श्री शोभनाथ यादव व श्री राकेश कुमार शुक्ल की मृत्यु कोविड–19 के कारण विगत दो दिनों में हो गई है। ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय परिसर को पूर्ण सैनीटाइज कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। "

3. इस प्रकार उपरोक्त स्थिति को देखते हुए न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन के लिए 48 घण्टे की अवधि तक न्यायालय परिसर बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 48 घण्टे के उपरान्त ही पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः प्रशासन की आवश्यकतानुसार कोविड–19 संक्रमण को रोकने हेतु जनपद न्यायालय इलाहाबाद के सम्पूर्ण परिसर

न्यायालय, कार्यालय तथा अधिवक्ता संघ परिसर का सेनेटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो गया है।

4. अतः दिनांक 17.04.2021 शनिवार को उपरोक्त ढंग से सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन हेतु जनपद न्यायालय इलाहाबाद बन्द रहेगा। विदित है कि दिनांक 18.04.2021 को रविवार का अवकाश है। जनपद न्यायालय इलाहाबाद परिसर, सम्पूर्ण सैनीटाइजेशन कराये जाने के पश्चात पुनः न्यायिक, प्रशासनिक एवं कार्यालयीय कार्य हेतु दिनांक 19.04.2021 को नियमित समय पर खुलेगा।

5. उक्त कार्य दिवस में घोषित अवकाश के दिन में सत्र न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य हेतु श्री सुभाष चन्द्र मौर्या, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–द्वितीय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद पृथक रूप से आदेश पारित करेंगें।

6. समस्त न्यायालयों के पेशकार द्वारा दिनांक 17.04.2021 को नियत वादों में सामान्य तिथि अग्रसारित की जाएगी।

7. जिलाधिकारी प्रयागराज, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज, नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज, न्यायालय परिसर में समस्त न्यायालय/कार्यालय, विश्राम कक्ष/परिसर, आशुलिपिक कक्ष एवं अधिवक्तागण के बैठने के स्थान/अधिवक्ता शेड का मानक के अनुरूप दिनांक 17.04.2021 एवं 18.04.2021 को सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसके पश्चात दिनांक 19.04.2021 से अथवा अग्रिम खुलने की तिथि से प्रतिदिन न्यायालय खुलने के समय के पूर्व सम्पूर्ण न्यायालय परिसर मय अधिवक्ता परिसर के बाहय एवं आन्तरिक भाग का सम्पूर्ण सैनेटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय प्रयागराज व न्यायालय प्रबन्धक, जनपद न्यायालय इलाहाबाद अपनी देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करें।

8. नोडल आफिसर, कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक–1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांक 05.04.2021 एवं पत्रांक–1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांक 14.04.2021 के अनुपालन में उक्त पत्रों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार Virtual Courts के माध्यम

से जमानत प्रार्थनापत्र इत्यादि प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सुनवाई हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

9. सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय इलाहाबाद इस आदेश को जनपद न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

10. इस दौरान श्री विकास श्रीवास्तव, अपर जिला जज कक्ष सं0 2, श्रीमती रागिनी सिंह, अपर जिला जज कक्ष सं0 6, श्री सुरेश कुमार दुबे, ए.सी.जे.एम.–8, श्रीमती जया प्रियदर्शिनी, पीठासीन अधिकारी (वर्चुअल कोर्ट), श्री उत्सव गौरव राज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) इलाहाबाद एवं श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक नाजिर, श्री अनुपम वर्मा, पेशकार न्यायालय अपर सिविल जज जू.डि. कक्ष सं0 11, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक रिकार्ड कीपर सिविल, श्री शाहिद, लिपिक, न्यायालय ए.सी. जे.एम. कक्ष सं0 2, श्री प्रभात श्रीवास्तव रीडर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री बिजेन्द्र सिंह, पेशकार न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय–1 एवं श्रीमती गौरी सिंह, वाद लिपिक, न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय–1 के सम्पर्क में आये समस्त कर्मचारीगण अपना–अपना कोविड–19 टेस्ट नियमानुसार कराकर जॉच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

11. चेयरमैन कोविड –19 पैण्डेमिक प्रिवेन्शन समिति को आदेशित किया जाता है कि वे डिस्ट्रिक्ट अथारिटी से समन्वय स्थापित करके उक्त 48 घंटे में सैनेटाइजेशन प्रारम्भ करके जनपद न्यायालय इलाहाबाद के समस्त न्यायालय, कार्यालय एवं न्यायालय परिसर का नियमानुसार सैनीटाईजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य हेतु समिति के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग ले सकते हैं।

12. प्रभारी अधिकारी नजारत, नोडल अधिकारी स्वच्छता अभियान जनपद न्यायालय इलाहाबाद को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वे सफाई कार्य से सम्बन्धित कर्मचारीगण तथा जिला प्राधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज, नगर निगम के अधिकारी तथा कोविड–19 पैण्डेमिक प्रिवेन्शन कमेटी के चेयरमैन व सदस्यों से समन्वय स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स का कड़ाई से अनुपालन करते हुए न्यायालय, कार्यालय एवं न्यायालय परिसर के साफ–सफाई कार्य को नियमानुसार कराने हेतु व्यवस्था में अपना योगदान प्रस्तुत करें।

13. सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण इलाहाबाद को यह आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश का नियमानुसार प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

14. यह आदेश जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा त्वरित गति से उचित माध्यम से सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अवगत कराया जाए।

15. इस आदेश की सूचना, माननीय उच्च न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक: अप्रैल 16, 2021

(अमर जीत त्रिपाठी) 16.4.2021
जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।

इस आदेश की प्रति :

1. श्रीमान महानिबन्धक,माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद जोन के निजी सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के अवलोकनार्थ उनके समक्ष प्रस्तुत करें।
3. संयुक्त निबन्धक (जे.)सी.पी.सी.,माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इलाहाबाद
5. अध्यक्ष एवं सचिव जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद को समस्त अधिवक्तागण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी प्रशासन, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. चेयरमैन कोविड–19 समिति, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. नोडल आफीसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. नोडल अधिकारी स्वच्छता अभियान जनपद न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे नियमानुसार इस आदेश का प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
16. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नैनी, प्रयागराज।
18. डिप्टी कलेक्टर, प्रयागराज / नोडल अधिकारी सैनीटाइजेशन न्यायालय परिसर।
19. नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज
20. न्यायालय प्रबन्धक, जनपद न्यायालय, इलाहाबाद।

(अमर जीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।